न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 02/2025

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 रामलाल पुत्र नेनाराम निवासी 114, मुंडेलो का बास, पंचोलिया खुर्द। मैसर्सः– चौधरी ट्रेडींग कम्पनी, हातीपुरा मौहल्ला, मेडता सिटी, नागौर। 2 लोकेश खंडेलवाल पुत्र ब्रिज मोहन खंडेलवाल निवासी 10/2, संख्या, दयानंद कॉलोनी, रामनगर, अजमेर। मैसर्सः– श्री श्याम फुड प्रोडेक्ट, ब्यावर रोड, तबीजी, अजमेर।

दिनांक :30.07.2025

आदेश

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 05-04-2024 को मैसर्स चौधरी ट्रेडींग कम्पनी, हातीपुरा मौहल्ला, मेडता सिटी, नागौर पर खाद्य पदार्थ Ghee(Saras) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया ज़ाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 2912 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/425/एक्ट /2024/453 दिनांक 16.04.2024 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ Ghee(Saras) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण रामलाल पुत्र नेनाराम निवासी 114, मुंडेलो का बास, पंचोलिया खुर्द तथा लोकेश खंडेलवाल पुत्र ब्रिज मोहन खंडेलवाल निवासी 10/2, संख्या, दयानंद कॉलोनी, रामनगर, अजमेर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 03-03-2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 दिनांक 27.03.2025 को उपस्थित हुआ, तत्पश्चात न्यायालय में गैर हाजिर रहा है। अप्रार्थी संख्या 02 बावजूद सूचना के न्यायालय में गैर हाजिर रहा है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/425/एक्ट /2024/453 दिनांक 16.04.2024 के अनुसार खाद्य पदार्थ Ghee(Saras) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 रामलाल पुत्र नेनाराम निवासी 114, मुंडेलो का बास, पंचोलिया खुर्द पर रूपये 1,50,000/– अक्षरे एक लाख पच्चास हजार रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 02 लोकेश खंडेलवाल पुत्र ब्रिज मोहन खंडेलवाल निवासी 10/2, संख्या, दयानंद कॉलोनी, रामनगर, अजमेर पर पर रूपये 2,50,000/– अक्षरे दो लाख पच्चास हजार रूपये, कुल रूपये 4,00,000/– अक्षरे चार लाख रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/7/25
(चम्पालाल जीनगर)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)